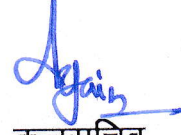


नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

//भर्ती विज्ञापन//

जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर अंतर्गत कृषि महाविद्यालय पन्ना एवं खुरई के अधिष्ठाता एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण, आवेदन पत्र, शैक्षणिक अर्हताएं, नियम व शर्तें एवं अन्य आवश्यक जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाईट www.jnkvv.org पर उपलब्ध हैं।

No. I PRO/Reg/ 2025/74


कुलसचिव,

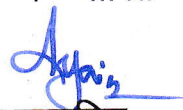
ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

पद का नाम:- अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, पन्ना एवं खुरई

वेतनमान - रु. 37400—67000/- + एजीपी 10000/- (छटवे पुनरीक्षित वेतनमान)
(144200/-) लेवल - 14 (सांतवे वेतनमान अंतर्गत)

1.	Unreserved	01
2.	Other Backward Class (Creamylayer) *	01
Total		02

* उक्त पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग क्रिमीलेयर के आवेदकों पर नियमानुसार विचार किया जावेगा तथा उक्त पद ओपन कैटेगिरी अंतर्गत रहेगा। उक्त हेतु मा. उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ द्वारा याचिका क्रमांक 6664/2022 में पारित आदेश दिनांक 14/03/2023 का संदर्भ लिया गया है।

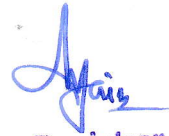

कुलसचिव,

ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

पद का नाम:- सहायक प्राध्यापक

वेतनमान - रु. 15600-39100/- + एजीपी 6000/- (छटवे पुनरीक्षित वेतनमान)
(57700/-) लेवल - 10 (सांतवे वेतनमान अंतर्गत)

S.No	Discipline	College of Agriculture, Panna	College of Agriculture, Khurai	Total	Category			
					UR	SC	ST	OBC
1.	Agronomy	04	04	08	03	01	02	02
2.	Agril. Economics	02	02	04	02	00	01	01
3.	Agril. Extension & R.S.	01	01	02	01	00	00	01
4.	Entomology	02	02	04	02	00	01	01
5.	Genetics & Plant Breeding	02	02	04	02	00	01	01
6.	Horticulture	02	02	04	02	00	01	01
7.	Soil Science	02	02	04	02	00	01	01
8.	Plant Pathology	02	02	04	02	00	01	01
9..	Veterinary Science (LPM)	01	01	02	01	00	00	01
10.	Agril. Engineering	01	01	02	01	00	00	01
11.	Plant Physiology	01	00	01	01	00	00	00
12.	Maths & Statistics	01	00	01	01	00	00	00
13.	Forestry	01	00	01	01	00	00	00
14.	Sports Officer	01	01	02	01	00	00	01
15.	English	01	00	01	01	00	00	00
16.	Assistant Librarian	01	01	02	01	00	00	01



Registrar
J.N. Krishi Vishwavidyalaya
Jabalpur (M.P.)



अधिष्ठाता के विज्ञापित पदों हेतु सामान्य जानकारी एवं शर्तें

1) निरर्हता मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता

1.1) कोई भी पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी। परन्तु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो वह ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

1.2) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा के या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

1.3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसको पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

1.4) आवेदक को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं धारित किया जाना अनिवार्य है। उक्त तिथि के पश्चात् अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी अनर्ह होंगे।

1.5) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध —दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

2) एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार के संशोधन संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

3) रद्द किया जाना ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और निहित आवेदन पत्र के प्रारूप में नहीं है अथवा जिनके साथ परीक्षा शुल्क संलग्न नहीं पाए गए, रद्द कर दिये जावेंगे तथा विश्वविद्यालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

4) आवेदन शुल्क

सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर के आवेदकों के लिए — 1000/— (एक हजार रुपये मात्र) आवेदन शुल्क मात्र कुलसचिव, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के नामे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा।

5) आयु संगणना तिथि :- दिनांक 01/09/2025

06) आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकूसची/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

विश्वविद्यालय अभ्यर्थी की मात्र वही जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेन्ड्री या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे आवेदन हेतु परीक्षा शुल्क वापसी के दायित्वाधीन नहीं होगा।

7) **शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :-** विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु समस्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन सभी समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किया गया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

8) **शासकीय सेवक की स्थिति में होने का प्रमाण पत्र:-** यह प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

9) विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जबलपुर होगा। किसी भी प्रकार के डाक विलंब हेतु विश्वविद्यालय की उत्तरदायित्वता नहीं होगी।

10) विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं विश्वविद्यालय वेबसाईट पर प्रदर्शित की जावेगी।

11) समस्त नियुक्तियां नवीन अंशदान पेंशन योजना के तहत की जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों को जो पेन्शन प्रणाली प्रभावी है उस पर नियमानुसार विचार किया जावेगा।

12) उपरोक्त दिशानिर्देशों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक संशोधन समय-समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किये जा सकेंगे।

10) **आयु सीमा :-** अधिष्ठाता के पद हेतु अधिकतम आयु आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर 62 वर्ष है। ऐसे आवेदक जिनकी आयु 62 वर्ष से कम अथवा 62 वर्ष है परन्तु वे शासकीय/अर्धशासकीय/निजी संस्था से सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में कार्यरत कर्मचारियों को अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होगी।

आवेदन पत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि दिनांक :- दिनांक 10/11/2025 को कार्यालयीन समय (अपराह्न 06:00 बजे तक) विदेश के आवेदकों हेतु अंतिम तिथि 25/11/2025 होगी।


कुलसचिव

ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

As per Statute 20 (3), it shall be the duty of the Dean of the College :

- (a) to exercise overall control of the College of which he is the administrative and academic head in respect of all employees, students, activities, facilities and the expenditure incurred therein ;
- (b) to supervise the teaching, research and extension work of the staff of the College and be responsible for the work and conduct of all the students of the College ;
- (c) to be responsible to the Vice-Chancellor through the Dean of the Faculty and the Director concerned, in exercise of the powers and discharge of duties under this Statute ;
- (d) to exercise such powers and discharge such duties as may be delegated or entrusted to him by the Vice-Chancellor in regard to the College of which he is the Dean and to be responsible in all technical and administrative matters related to teaching, research and extension etc. through the Dean of the Faculty and Director concerned ;
- (e) to undertake teaching, research and extension by himself ;
- (f) he shall be responsible for the due observance of the Statutes and regulations ;
- (g) he shall supervise the registration and progress of the students in his College.
- (h) he shall formulate and present policies on Academic matters pertaining to his college to the Faculty/ Academic Council for consideration through the Dean of Faculty/ Director of Instruction
- (i) he shall be responsible for proper administration of Research Station/ Instructional Farm/ Institutions attached to the College ;
- (j) he shall be also responsible to the concerning authorities for the use and maintenance of lands, buildings, laboratories, libraries and such other properties of the College, the Research Station/ Instructional Farm and other Institutions attached to the College ;
- (k) he shall be responsible for the maintenance, supervision, functioning of the hostels of the College ;
- (l) to be responsible for the procurement of stores, equipments and such other items as are necessary for the College and units attached with the same ;
- (m) to be responsible for the maintenance of high standard of discipline in the institutions under him ;
- (n) to be responsible for the maintenance of high standard of financial discipline in the institutions under him ;
- (o) to assist the Dean of the Faculty for all policies and programmes related to teaching, research and extension work in the college on co-ordinated basis ;
- (p) to prepare proposals for college activities and budget estimate for the needs thereof and be responsible to the Comptroller through the Vice-Chancellor, that all college activities are in accordance with sanctions of the appropriate authorities ;
- (q) to assist the Director of Research Services on the development of plans and budgets for research in the pertinent subjects and in the preparation of reports as may be asked by him and also direct the research work done by the College staff and students and under the schemes attached with the institutions under him ;
- (r) (i) to assist the Director of Extension Services on development of plans and budgets for extension work in the institutions under him ;
(ii) to assist the extension services on the development of informational materials ; and
(iii) to direct the extension education work done by the college staff ;
- (s) to assist the Director of Instruction and direct the works of post-graduate students in his college.
- (t) to be responsible to the Vice – Chancellor through the Superintendent of Physical Plant for the educational use of the buildings and rooms assigned to the college and for the general equipment of the college ;
- (u) to perform such other duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes, Regulations or by the Vice-Chancellor.


REGISTRAR

J.N. KRISHI VISHWA VIDYALAYA
JABALPUR

सहायक प्राध्यापक के विज्ञापित पदों हेतु सामान्य जानकारी एवं शर्तें

अ) आरक्षण

विज्ञापित पदों हेतु निम्नवत् आरक्षण की व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

- 1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्धों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 530 दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लम्बवत् (वर्टिकल) आरक्षण लागू होगा—

अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत

- 1) अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग की नियुक्तियों में आरक्षण के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में दायरयाचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

- 2) मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है:— " किन्हीं सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस (33) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाइस) होगा। किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के आरक्षित पद उपयुक्त महिला आवेदक के आभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष आवेदक के चयन से भरे जावेंगे।

- 3) सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट) भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापना में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 06 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है:—

1.	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि	(VH)	1.5 प्रतिशत
2.	बहरे और कम सुनने वाले	(EH)	1.5 प्रतिशत
3.	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4.	ऑटिस्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

परन्तु उक्त आरक्षण निशक्त: या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किये गये पदों के लिए ही दिया जावेगा।

शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्ता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जावेगा।

4) संविदा कर्मियों हेतु नियम:-

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्व शिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी।

4.1 विज्ञापित पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किन्तु इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने उपरान्त पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।

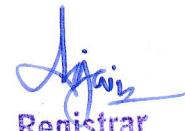
4.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे:-

4.3 सीधी भर्ती का पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्षों तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होगा जो यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

4.4 सेवा नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वांछित है उन्हें पूर्ण करता हो।

4.5 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा अवधि 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।

4.6 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया है तो उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई है तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।


Registrar

J.N. Krishi Vishwavidyalaya
Jabalpur (M.P.)



4.7 नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

अंतिम परिणाम आने से पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाकर तदसमय में प्रभावी आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।

5) यात्रा भत्ता

5.1) ऐसे अभ्यर्थियों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जावेगी। यात्रा व्ययों के हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

5.2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम चार/दिनांक 29 जून 2019 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होने वाले परिक्षार्थियों को यात्रा भत्ता (विशेषतः आरक्षित श्रेणी) का भुगतान केवल ई भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी संबंधित अभ्यर्थी संलग्न प्रारूप में अपने बैंक खाते संबंधित विवरण आवश्यक रूप से साथ में लेकर आवें।

6) निरर्हता मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता

6.1) कोई भी पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी। परन्तु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो वह ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6.2) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा के या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

6.3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसको पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

6.4) आवेदक को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं धारित किया जाना अनिवार्य है। उक्त तिथि के पश्चात् अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी अनर्ह होंगे।

6.5) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध —दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

7.) एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार के संशोधन संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

8) **रद्द किया जाना:—** ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और निहित आवेदन पत्र के प्रारूप में नहीं हैं अथवा जिनके साथ आवेदन शुल्क संलग्न नहीं पाए गए, रद्द कर दिये जावेंगे तथा विश्वविद्यालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

9) आवेदन शुल्क

सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (किमीलेयर) के आवेदकों के लिए — 1000/—, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/निशक्तजन अभ्यर्थियों (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदक) हेतु 500/— परीक्षा शुल्क मात्र कुलसचिव, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के नामे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा।

10) आयु सीमा

सहायक प्राध्यापक के पद हेतु मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदकों हेतु आयुसीमा — 40 वर्ष है। अन्य प्रदेशों के आवेदकों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित रहेगी।

11) **आयु संगणना तिथि :—** दिनांक 01/09/2025.

12) **आयु संबंधी प्रमाण के लिए :—** केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसची/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

विश्वविद्यालय अभ्यर्थी की मात्र वही जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेन्ड्री या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे आवेदन हेतु परीक्षा शुल्क वापसी के दायित्वाधीन नहीं होगा।

13) **जाति के सत्यापन हेतु:—** सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'जाति प्रमाण पत्र' जिसमें जाति एवं संवर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।

14) **दिव्यांगता प्रमाण पत्र:—** जिला चिकित्सा मण्डल अथवा उच्चतर अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें जिसमें 40 प्रतिशत अथवा अधिक दिव्यांगता प्रमाणित की गई हो।

15) **शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र** :- विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु समस्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन सभी समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किया गया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

16.) **शासकीय सेवक होने की स्थिति में प्रमाण पत्र**:- यह प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

17) विज्ञापित पदों पर अंतिम चयन हेतु स्कोर कार्ड में प्राप्तांकों की प्रावीणता सूची आधार पर प्रत्येक संवर्गों में विज्ञापित पदों में 01 अनुपात 10 अभ्यर्थियों तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

18) विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जबलपुर होगा। किसी भी प्रकार के डाक विलंब हेतु विश्वविद्यालय की उत्तरदायित्वता नहीं होगी।

19) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा में छूटें मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे तथा अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में कोई भी छूट तथा आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।

20) विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।

21) समस्त नियुक्तियां नवीन अंशदान पेंशन योजना के तहत की जावेगी।।

अन्य छूट:-

1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 29206/1995 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।

2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03/09/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 427/1422/1(3)82 दिनांक 14 जून 1982 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुज्ञेय आयु

सीमा में छूट भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्षों की छूट होगी जो अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष के अध्याधीन होगी।

4) उपरोक्त बिन्दु 1,2,3 के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिए देय छूट मिलेगी।

5) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में हैं अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे तथा अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जावेगी।

6) उपरोक्त दिशानिर्देशों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक संशोधन समय-समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किये जा सकेंगे।

7) जिन आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट की पात्रता नहीं होगी तथा उन्हें अनारक्षित पद/पदों के संदर्भ में विचारित किया जावेगा।

8) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी3-8/2016/1213 दिनांक 04 जुलाई, 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/शासकीय/ निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ महिलाएं (आरक्षित/ अनारक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी।

परीवीक्षा:- समस्त पदों हेतु दो वर्ष की परीवीक्षावधि निर्धारित होगी।

अधिवार्षिकी आयु:- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्याधीन रहेगी।

आवेदन पत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि :- दिनांक 10/11/2025 को कार्यालयीन समय (अपराह्न 06:00 बजे तक) विदेश के आवेदकों हेतु अंतिम तिथि 25/11/2025 होगी।


कुलसचिव

ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

Eligibility criteria for the Post of Dean

1. Essential educational qualifications

- (i) At least one out of three degrees i.e., Bachelor, Master or Doctorate shall be from relevant faculty.
- (ii) A four-year basic Bachelor degree in the relevant faculty with at least 6.0 OCGA out of 10-point scale in the relevant disciplines or equivalent (Trimester/Semester/ system) or at least 50% marks (Traditional system); or

Three-year Bachelor degree with at least 6.0 OCGA out of 10-point scale in the relevant disciplines or equivalent with at least 50% marks (Traditional system) with one extra year (i.e., total three years) to complete the deficiency course in Master degree programme.

- (iii) Master's degree with at least 6.5 OCGA out of 10-point scale in a concerned / relevant discipline/allied subject of relevant faculty or equivalent (Trimester/Semester/ system) or at least 55% marks (Traditional system) or an equivalent degree from an accredited foreign university/Indian university.
- (iv) Doctorate degree in the relevant field of respective faculty.
- (v) Minimum 15-year experience of Teaching/Research/Extension in the concerned discipline of the relevant faculty, out of which 10 years should be in Agricultural University/ICAR system and at least 5 years should be in the rank of Professor, or equivalent (UGC AI-14 or pre revised PB 4 AGP Rs 10000/-) as working experience.
- (vi) Outstanding contribution in teaching/research/extension as evidence by published work with minimum 20 research/policy papers in Professional National International peer reviewed or NAAS/UGC listed journals, reputed books or technology developed.
- (vii) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based on Performance Appraisal system) developed by JNKVV in the light of UGC regulations.

Desirable

- Administrative experience on a responsible position in an Agricultural University/College/Institute.
- Adequate experience of teaching/research/extension and guiding post-graduate students.
- Familiarity with latest advances in Agricultural developments.

Note

- a) Applicant may be recruited directly or on deputation as per with same qualification and terms of condition.
- b) The maximum age limit for the applicant for appointment shall be 62 years be reckoned as on last date for submission of application. Candidature of the applicant of ≤ 62 years but retired from the Government/Quasi Government/Private Service shall not be considered.
- c) No age bar for the working candidate from JNKVV, Jabalpur.
- d) The age of superannation on the post shall be as prescribed by the Government of M.P.
- e) The requirement of minimum percentage of marks shall be relaxed up to 5% in case of scheduled castes/ scheduled Tribes / Other Backward Class (non- creamy layer), specially abled candidates etc. of the state of Madhya Pradesh as per guidelines of the Government of Madhya Pradesh.


Registrar

J.N. Krishi Vishwavidyalaya
Jabalpur (M.P.)

Eligibility for the Post of Assistant Professor

Essential qualification

- (i) Candidates must have qualified UG & PG Degree from a recognized university.
- (ii) Bachelors degree in concerned subject with at least 6.5 OCGA out of 10.00-point scale or equivalent (Trimester/ Semester System or at least 55% marks (Traditional System).
- (iii) Master's Degree in concern/relevant/ allied subject with the minimum requirements of a good academic record with at least 6.5 OCGA out of 10.00-point scale or equivalent (Trimester/ Semester System or at least 55% marks (Traditional System) or an equivalent degree from an accredited foreign university/ Indian university.
- (iv) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC/ICAR or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET SET or who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET:

Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institution awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/ SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfilment of the following conditions: -

- a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in the regular mode;
- b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;
- d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one is in a refereed journal;
- e) The candidate has presented at least two papers based on his/ her Ph.D work in conferences/seminars sponsored/ funded/ supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency.

The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

- (v) A minimum score as stipulated in the Academic Performance indicator (API) based performance Appraisal system (PBAS) developed by JNKVV in the light of UGC regulations.

Desirable

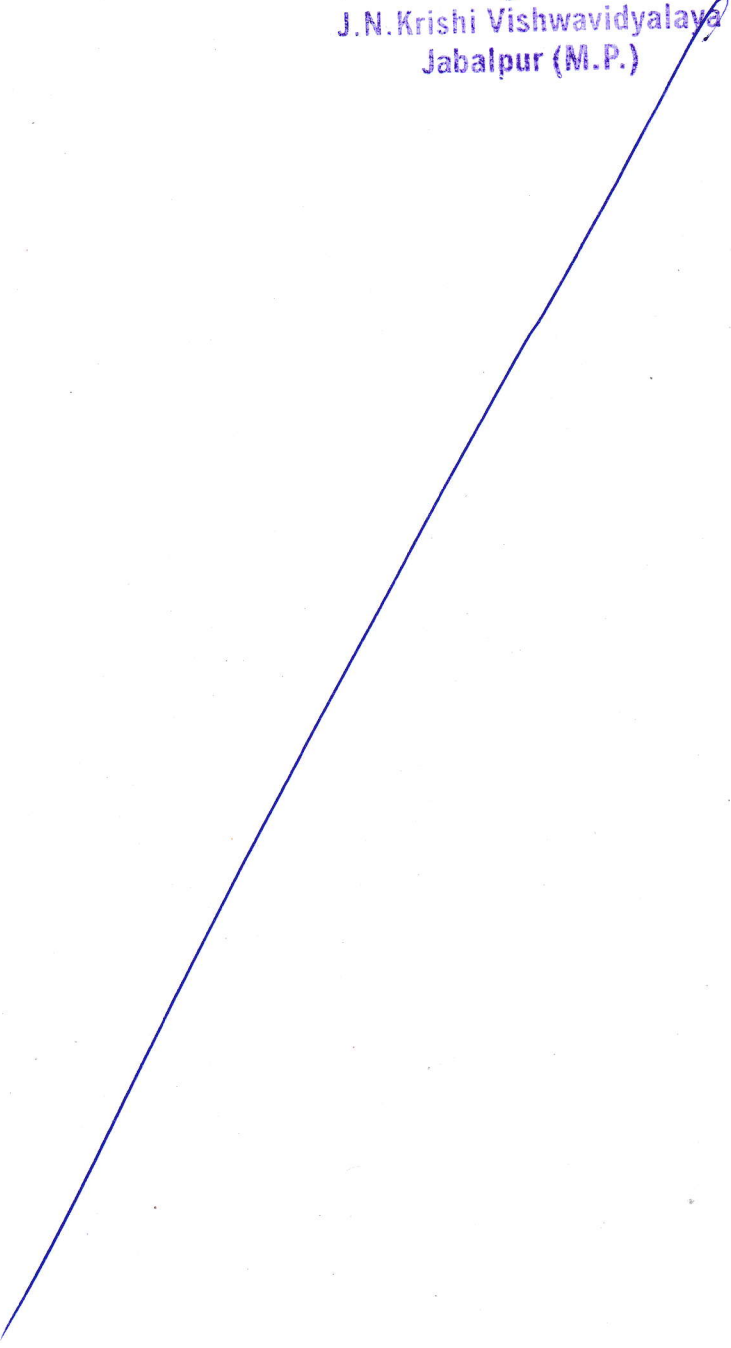
- Familiarity with latest advances in Agricultural developments.
- Knowledge of computer application.

Note:

- a) The requirement regarding minimum percentage of marks relaxed up to 5% for reserve categories candidate as per rules of Govt. of M.P.
- b) The minimum age must have been 21 years and maximum age limit is 40 years for M.P. bonafide candidate on last date of advertisement.
- c) Age relaxation will be applicable as per M P. Govt norms.
- d) The minimum age must have been 21 years and maximum age limit is 28 years for candidate of outside M.P. on last date of advertisement (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र तीन-सी/3-8/2016/3-1/दिनांक 12 मई 2017).
- e) No maximum age limit for employee of JNKVV, Jabalpur/Agricultural/Veterinary Universities/Department of Farmer welfare and Agricultural Development of M.P.

- f) A candidate shall not be eligible for any service appointment if candidate have more than two alive children and if the third child was born on or after 1st January 2001 as per M.P Govt. two child worms 2001.


Registrar
J.N. Krishi Vishwavidyalaya
Jabalpur (M.P.)



Eligibility for the Post of Sports Officer/ Physical Education

Essential qualification

A.

- (i) Candidates must have qualified UG & PG Degree from a recognized university.
- (ii) A Master's Degree in Physical Education and Sports or Physical Education or Sports Science with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale, wherever the grading system is followed)
- (iii) Record of having represented the university/ college at the inter-university/ (inter-collegiate competitions or the State and/or national championships.
- (iv) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be:

Provided that the, candidates registered for the Ph.D. degree prior to July 11. 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/ Regulations of the Institution awarding the degree, and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/ Colleges/Institutions subject to the fulfilment of the following conditions: -

- a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in the regular mode
- b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- c) Open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;
- d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one is in a refereed journal;
- e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency.

Note:

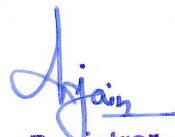
- (i) The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned
- (ii) NET/SLET/SET shall also not be required for candidates in such Master's Programmes for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET

The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned

- (v) Passed the physical fitness test conducted in accordance with these Regulations.

OR

B. An Asian game or commonwealth games medal winner who has a degree at least at post-Graduation level.


Registrar
J.N. Krishi Vishwavidyalaya
Jabalpur (M.P.)

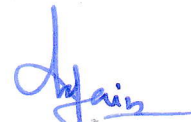
Physical Fitness Test Norms

- a) Subject to the provisions of these Regulations, all candidates who are required to undertake the physical fitness test are required to produce a medical certificate certifying that he/she is medically fit before undertaking such tests.
- b) On the production of such certificate mentioned in sub-clause (a) above, the candidate would be required to undertake the physical fitness test in accordance with the following norms:

Norms for Man			
Upto 30 Years	Upto 40 Years	Upto 45 Years	Upto 50 Years
1800 metres	1500 metres	1200 metres	800 metres
Norms for Woman			
1000 metres	800 metres	600 metres	400 metres

Note:

- a) The requirement regarding minimum percentage of marks is relaxed up to 5% for reserve categories candidate as per rules of Govt. of M.P.
- b) The minimum age must have been 21 years and maximum age limit is 40 years for M.P. bonafide candidate on last date of advertisement.
- c) Age relaxation will be applicable as per M.P. Govt norms.
- d) The minimum age must have been 21 years and maximum age limit is 28 years for candidate of outside M.P. on last date of advertisement (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र तीन-सी/3-8/2016/3-1/दिनांक 12 मई 2017).
- e) A candidate shall not be eligible for any service/appointment if candidate have more than two alive children and if the third child was born on or after 1 January 2001 as per M.P. Govt. two child norms 2001


Registrar
J.N. Krishi Vishwavidyalaya
Jabalpur (M.P.)



Eligibility for the Post of Assistant Librarian / Library Science

Essential qualification

- (i) Candidates must have qualified UG & PG Degree from a recognized university.
- (ii) A Master's Degree in Library Science, Information Science or Documentation Science or an equivalent professional degree, with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale. wherever the grading system is followed)
- (iii) A consistently good academic record, with knowledge of computerization of a library.
- (iv) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be:

Provided that the, candidates registered for the Ph.D. degree prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institution awarding the degree, and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfilment of the following conditions: -

- a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in the regular mode
- b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- c) Open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;
- d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one is in a refereed journal;
- e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency.

Note:

- (i) The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.
- (ii) NET/SLET/SET shall also not be required for candidates in such Master's Programmes for which NET/SLET SET is not conducted by the UGC. CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.

The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

- (v) A minimum score as stipulated in the Academic Performance indicator (API) based performance Appraisal system (PBAS) developed by JNKVV in the light of UGC regulations.

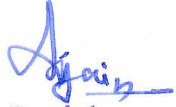
Desirable

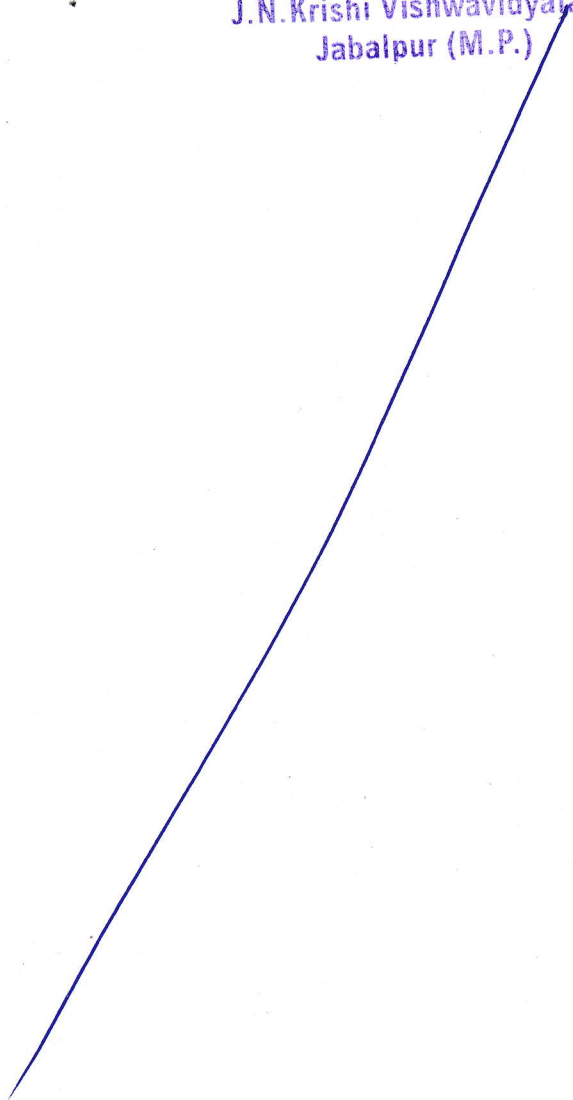
- Knowledge of computer application

Note:

- a) The requirement regarding minimum percentage of marks is relaxed up to 5% for reserve categories candidate as per rules of Govt. of M.P.
- b) The minimum age must have been 21 years and maximum age limit is 40 years for M.P. bonafide candidate on last date of advertisement.
- c) Age relaxation will be applicable as per M.P. Govt norms.

- d) The minimum age must have been 21 years and maximum age limit is 28 years for candidate of outside M.P. on last date of advertisement (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र तीन-सी/3-8/2016/3-1/दिनांक 12 मई 2017).
- e) No maximum age limit for employee of J.N.K.V.V., Jabalpur/ Agricultural/ Veterinary Universities/ Department of Farmer Welfare and Agricultural Development of M.P.)
- f) A candidate shall not be eligible for any service/appointment if candidate have more than two alive children and if the third child was born on or after 1 January 2001 as per M.P. Govt. two child norms 2001


Registrar
J.N.Krishi Vishwavidyalaya
Jabalpur (M.P.)



Eligibility for the Post of Assistant Professor English
Essential qualification

- (i) Candidates must have qualified UG & PG Degree from a recognized university.
- (ii) Master's degree with atleast 6.5 OCGA out of 10-point scale in a concerned /relevant discipline/allied subject or equivalent (Trimester/Semester system) or atleast 55% marks (Traditional system) or an equivalent degree from an accredited foreign university Indian university.
- (iii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be:

Provided that the, candidates registered for the Ph.D. degree prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws Regulations of the Institution awarding the degree, and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges Institutions subject to the fulfilment of the following conditions:-

- a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in the regular mode
- b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- c) Open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted:
- d) The candidate has published two research papers from his /her Ph.D. work out of which at least one is in a refereed journal:
- e) The candidate has presented at least two papers based on his /her Ph.D work in conferences/seminars sponsored/ funded supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency.

Note:

- (i) The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean Academic Affairs) of the University concerned.
- (ii) NET/SLET/SET shall also not be required for candidates in such Master's Programmes for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET / SET.
- (iv) A minimum score as stipulated in the Academic Performance indicator (API) based performance Appraisal system (PBAS) developed by JNKVV in the light of UGC regulations.

Note:

- a) The requirement regarding minimum percentage of marks relaxed up to 5% for reserve categories candidate as per rules of Govt. of M.P.
- b) The minimum age must have been 21 years and maximum age limit is 40 years for M.P. bonafide candidate on last date of advertisement.
- c) Age relaxation will be applicable as per M P. Govt norms.
- d) The minimum age must have been 21 years and maximum age limit is 28years for candidate of outside M.P. on last date of advertisement(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र तीन-सी/3-8/2016/3-1/दिनांक 12 मई 2017).
- e) A candidate shall not be eligible for any service appointment if candidate have more than two alive children and if the third child was born on or after 1st January 2001 as per M.P Govt. two child worms 2001.